भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या †3776

दिनांक 09.07.2019/18 आषाढ़,1941 (शक) को उत्तर के लिए

कार्बी आंगलोंग स्वायतशासी परिषद् हेतु वित्तपोषण

†3776. श्री होरेन सिंह बेः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 244(क) के कार्यान्वयन की मांग को लेकर कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद् के एक प्रतिनिधिमंडल ने दिनांक 19 मार्च 2019 को माननीय प्रधानमंत्री से मुलाकात कर उन्हें एक ज्ञापन सौंपा था तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या असम के पहाड़ी जनजातीय क्षेत्रों तथा मेघालय और मिज़ोरम के जनजातिय क्षेत्रों के लिए दिए जाने वाले सरकारी वित्तपोषण की प्रति व्यक्ति राशि में काफी अंतर है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संविधान के अनुच्छेद 244(क) के अनुसार असम के पहाड़ी जनजातीय क्षेत्रों के लिए एक स्वायत्त राज्य के सृजन से उक्त क्षेत्र में प्रति व्यक्ति सरकारी वित्तपोषण की राशि में वृद्धि में मदद मिलेगी तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केंद्र सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 244(क) के उपबंधों के कार्यान्वयन हेतु कोई कदम उठाया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का संविधान के अनुच्छेद 244(क) के अनुसार एक स्वायत्त राज्य गठित करने का विचार है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी किशन रेड्डी)

(क) से (ड.): कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद (केएएसी) के एक प्रतिनिधिमंडल ने दिनांक 19.03.2019 को केएएसी के मुख्य कार्यकारी सदस्य के नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी और भारत के संविधान के अनुच्छेद 244(क) में किए गए प्रावधान के अनुसार असम राज्य के अंदर एक 'स्वायत्त राज्य' के सृजन हेतु दिनांक 19.03.2019 का एक ज्ञापन सौंपा था। संविधान के अनुच्छेद 244 (क) के तहत किसी स्वायत्त राज्य के सृजन का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

******